न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 69 / 2023

प्रार्थीगण	अप्रार्थी
1. बलदेव सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलविन्द्र सिंह पुत्र खेता सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. जगतार सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. गुरदेव सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 6. हरजिन्द्र कौर पत्नी हरमिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. राजविन्द्र कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 8. हरमिन्द्र सिंह पुत्र खेता सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 9. हेतराम पुत्र बहादर राम जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 10. प्रभजीत सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 11. नवजोत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 12. सतपाल कुमार पुत्र देशराज निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।	बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

तारीख रजू:– 30.06.2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम–1956

——निर्णय—— दिनांक : 30.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 24 ओ भुट्टीवाला के मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 में दक्षिण दिशा में डेढ–डेढ बिस्वा भूमि पर मौका पर कई सालों से रास्ता चल रहा हैं। इस रास्ते में पुलिया भी बनी हुई है। यह रास्ता काश्तकारों की सुविधा के लिए सरकारी किया जावे। इस रास्ता से आगे जाने वाले सभी काश्तकारो को अपने खेत में जाने के लिए बाधा ना हो। इसलिए पार्थीगण उक्त रास्ता को सरकारी करवाना चाहते है।

उक्त रास्ता के संबध में तह[illegible] करणपुर के [illegible] 720 दिनांक 24.05.2023 से रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण भू–रा[illegible]नियम 1956 की धारा 131, 132 में दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा चक 24 ओ के मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 में प्रत्येक [illegible] किला नम्बर 21 से 25 में दक्षिणी बट के साथ–साथ 1.5– 1.5 बिस्वा रास्ता [illegible] बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौका जांच के अनुसार उक्त रास्ता [illegible] पुराने समय से काश्तकारों की सहमति से खेतो में आने–जाने एंव कृषि कार्य करने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। चक 24 ओ की आबादी की उतर–पश्चिम कोने से उतर में मुरब्बा नम्बर 37, 34, 13 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में रिकॉर्ड एवं मौके पर चालू रास्ते से इस रास्ते का सम्पर्क मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25 से होता हैं। जहां से मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 में 1.5– 1.5 बिस्वा रास्ता जो वर्षो से मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

पर चालू है। जिसे रास्तो के सुखाचार के तहत रिकॉर्ड में खाते में रखते हुए दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/31, 148/148, 149/149, 187/56, 120/121, 49/50 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 में प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 में दक्षिणी बट के साथ–साथ 1.5– 1.5 बिस्वा भूमि में चल रहे रास्ता को गैरमुमकिन दर्ज करवाने बाबत निवदेन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 24 ओ के मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 में प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 में दक्षिणी बट के साथ–साथ 1.5– 1.5 बिस्वा भूमि पर चल रहा रास्ता काफी पुराने समय से काश्तकारों की सहमति से खेतो में आने–जाने एंव कृषि कार्य करने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। जिसे रास्तो के सुखाचार के तहत खाते में रखते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप'–6) विभाग राजस्थान जयपुर, के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.06.2016 व राजस्व(ग्रुप'–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (17) राज–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में आ रहे रास्तो का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु राजस्व ग्राम 24 ओ में स्थित मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी बट के साथ–साथ रास्ते की चौडाई 12 फीट चालू है। उक्त रास्ता बारहमासी चलना बताया गया है। उक्त रास्ते को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्ताव तहसीलदार श्रीकरणपुर, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम–1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख – 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस, मौका फर्द में दर्ज राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 में प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी बट के साथ–साथ 1.5– 1.5 बिस्वा भूमि में चल रहे रास्ता को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। **गैरमुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित सहखातेदारों के खाते में ही रहेगी।** तहसीलदार श्रीकरणपुर का प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को तहरीर ओदश जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ रिकॉर्ड हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:50 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023, ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2023/ 366 **दिनांक :–30.06.2023**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 69/2023 अनवान बलदेव सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआरएक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 30.06.2023 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम–1956, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख – 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस, मौका फर्द में दर्ज राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 13, 14, 15 में प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी बट के साथ–साथ 1.5– 1.5 बिस्वा भूमि में चल रहे रास्ता को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। **गैरमुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित सहखातेदारों के खाते में ही रहेगी।** तहसीलदार श्रीकरणपुर का प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा।

अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ उपखण्ड
सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:50 IST
Reason: SelfAttested